पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजीव रंजन वर्मा और अन्य

बनाम

शैलेश चंद्र उर्फ पन्ना लाल और अन्य

सिविल विविध अधिकार क्षेत्र संख्या 482/2016

11 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

याचिकाकर्ता और अन्य द्वारा भारत के सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत आदेश। नियम 10(2) के अंतर्गत दायर आवेदन में एक आदेश की सहीता के संबंध में एक मुद्दा, जिसे मध्यस्थ-प्रतिवादियों के रूप में मामले में शामिल होने के लिए अनुरोध किया गया था, अस्वीकृत कर दिया गया।

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा I, नियम 10(2)—पार्टी की अतिरिक्तता—याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में मुकदमे में हस्तक्षेप करने के लिए शामिल होने की मांग की—निचली अदालत ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया—1963 में बिक्री उपकरण का निष्पादन और पंजीकरण किया गया, याचिकाकर्ताओं को इसकी सूचना थी लेकिन उन्होंने उस विशेष समय पर शामिल होना नहीं चुना—हस्तक्षेपी किसी भी आवश्यक पार्टी या उचित पार्टी की श्रेणियों में नहीं आती है।

निर्णीत: हस्तक्षेपकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं का दावा वादी द्वारा किए गए दावे से स्वतंत्र है और यदि हस्तक्षेपकर्ता पहले से विभाजन सूट में पार्टी हैं, तो वे हमेशा वर्तमान शीर्षक सूट की संपत्ति को अपने दावे के अनुसार एक संयुक्त परिवार की संपत्तियों में लाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं - बोझ याचिकाकर्ता पर होगा - अदालत को वादी के सूट के निपटान के लिए हस्तक्षेपकर्ताओं की आवश्यकता या उचित नहीं लगती - विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं - याचिका खारिज की गई। **(**पैराग्राफ **6, 10** और **12)**

न्याय दृष्टान्त

सूर्य लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य, (2012) 1 एससीसी 656; उदित नारायण सिंह मालपहाड़िया बनाम अतिरिक्त सदस्य राजस्व बोर्ड, एआईआर 1963 एससी 786; मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (पी) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर और होटेल्स (पी) लिमिटेड, (2010) 7 एससीसी 417— पर भरोसा; बिंदेश्वरी चौधरी बनाम डॉ. शेओ नंदन उपाध्याय

और अन्य, एआईआर 1973 पटना 347; जुगराज सिंह और अन्य बनाम जसवंत सिंह और अन्य, एआईआर 1971 एससी 761; सिंहेश्वर राय बनाम बाबूलाल राय और अन्य, एआईआर 1980 पटना 187; रज़िया बेगम बनाम साहेबजादी अनवर बेगम, एआईआर 1958 एससी 886; कस्तूरी बनाम इय्यम्पेरुमल, (2005) 6 एससीसी 733— निर्दिष्ट

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

आदेश 1 नियम 10(2) , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151; मध्यस्थ; संसोधित सर्वेक्षण; संशोधन आवेदन; विभाजन; सूट संपत्ति; संपत्ति के विभाजन; सूट में शामिल सभी प्रश्न; सूट के पक्षों के बीच शामिल प्रश्न; सूट में पक्षों के बीच शामिल सभी प्रश्न;पार्टी का जोड़ना;संपत्ति का अनुमान;संयुक्त परिवार की संपत्ति; पंजीकृत दस्तावेज; आवश्यक पार्टी; उचित पार्टी

प्रकरण से उत्पन्न

टाइटल सूट नंबर 469 वर्ष 2001; आदेश की तिथि 16.03.2016 जिसे उप-न्यायाधीश-III, आरा द्वारा पारित किया गया

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री नागेंद्र राय, सत्यपाल सिंह, नवीन निकुंज, कोशलेंद्र राय, वकील।

प्रस्ताव संख्या **1** के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, श्रीमती वैष्णवी सिंह, श्री ऋत्विक ठाकुर, वकील

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

उच्च न्यायालय पटना के क्षेत्राधिकार में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या-.482/2016

==========

1. राजीव रंजन वर्मा, पुत्र - अवध प्रसाद
2. आशीष कुमार
3. अभिषेक कुमार, दोनो पुत्र - स्वर्गीय यशवंत कुमार वर्मा
4. उमा शंकर गुप्ता, पुत्र - स्वर्गीय लख्खी प्रसाद
5. सत्येंद्र कुमार, पुत्र - स्वर्गीय गया प्रसाद
6. विनोद कुमार वर्मा
7. अरबिंद कुमार वर्मा, दोनो पुत्र -स्वर्गीय कौशल कुमार वर्मा
8. शिव कुमार वर्मा @मनोज कुमार वर्मा, पुत्र- स्वर्गीय अवध प्रसाद ,

सभी निवासी, ग्राम-बरुही, पुलिस स्टेशन-सहार, जिला-भोजपुर, वर्तमान पता, जेल रोड, चरखंभा गली, पोस्ट-. आरा, थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. शैलेश चंद्र @पन्ना लाल,पुत्र- स्वर्गीय नाथूनी साह , ग्राम-बरुही, पुलिस स्टेशन-सहार, जिला-भोजपुर का निवासी, वर्तमान में घोड़ा मोहल्ला गली, चौधरी, पुलिस स्टेशन-आरा टाउन, जिला-भोजपुर का निवासी है।
2. जानकी कुंवर पत्नी-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ,ग्राम-बरुही, पुलिस स्टेशन-सहार, जिला-भोजपुर की निवासी, वर्तमान में घोड़ा मोहल्ला गली, चौधरी, पुलिस स्टेशन-आरा टाउन, जिला-भोजपुर की निवासी हैं।
3. सुशीला देवी, पत्नी-बद्री सोनार, पुत्री-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद , ग्राम-सराय, जिला-छपरा की निवासी, वर्तमान में महादेव रोड, बाघवा गली के पास,थाना-आरा टाउन, जिला-भोजपुर की निवासी हैं।
4. चंद्रवती देवी पत्नी -काशी नाथ सोनार,पुत्री- स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ग्राम-नया भोजपुर, थाना-. डुमरांव, जिला-बक्सर के निवासी, वर्तमान पता- महादेव रोड पर, बाघवा गली के पास, पुलिस स्टेशन-आरा टाउन, जिला-भोजपुर।
5. दुर्गावती देवी पत्नी -धर्मेंद्र सोनार @कल्लू @,पुत्री-स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद , ग्राम-बड़ा बसंत, थाना-आरा एम जिला-भोजपुर, वर्तमान निवासी- मोहल्ला-घुरा गली, चौधरीयाना, पुलिस स्टेशन-आरा टाउन, जिला-भोजपुर।
7. संतोष कुमार

8. सतीश कुमार, दोनो पुत्र-अछैबर प्रसाद,ग्राम-चेनारी, पुलिस स्टेशन-चेनारी, जिला-रोहतास के निवासी हैं।
9. विश्वनाथ सिंह,पुत्र- स्वर्गीय ईश्वर दयाल सिंह ,निवासी, ग्राम-बिसुनपुरा, पोस्ट.-बरुही, थाना-. सहार, जिला-भोजपुर।
10. सुधीर कुमार सिंह, पुत्र तेज बहादुर सिंह, निवासी ग्राम-बरूही, पोस्ट-. बरूही, पुलिस स्टेशन-सहार, जिला-भोजपुर।
11. राजेश्वरी सिंह, पुत्र- स्वर्गीय निहोरा सिंह ,ग्राम—बिसुनपुरा, निवासी, पोस्ट-बरुही, थाना-सहार, जिला-भोजपुर।
12. राजनंदन प्रसाद
13. सतीश प्रसाद
14. रामजी प्रसाद
15. राजदेव प्रसाद
16. राम चंद्र प्रसाद,सभी पुत्र- विश्वनाथ, सभी निवासी, ग्राम-बिशुनपुरा, पोस्ट-. बरुही, थाना-. सहार, जिला-भोजपुर।
17. मिस मैनी- पत्नी, स्वर्गीय निर्मल कुमार सिंह
18. शेखर कुमार
19. विक्की कुमार,दोनो पुत्र- स्वर्गीय निर्मल कुमार सिंह
20. भुरी कुमारी, नाबालिग,पुत्री- स्वर्गीय निर्मल कुमार सिंह, सभी ग्राम -बरूही, पुलिस स्टेशन-सहार, जिला-भोजपुर की निवासी हैं।
21. सुरेंद्र कुमार गुप्ता,पुत्र--स्वर्गीय लाखी प्रसाद, निवासी, मोहल्ला--सतघरवा, पुलिस स्टेशन-आरा टाउन, जिला-भोजपुर

....उत्तरवादी/गण

==========

उपस्थिती

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री नागेंद्र राय, अधिवक्ता,
श्री सत्यपाल सिंह, अधिवक्ता,
श्री नवीन निकुंज, अधिवक्ता,
श्री कोशलेंद्र राय,

प्रतिवादी संख्या 1 के लिये : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता,
श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता,
श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी.ए.वी निर्णय

तारीखः11-04-2025

वर्तमान याचिका विद्वान अवर न्यायाधीश-III, आरा द्वारा स्वत्व वाद संख्या 469/2001 में पारित दिनांक 16.03.2016 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 151 के साथ आदेश 1 नियम 10(2) के तहत वाद में हस्तक्षेपक-प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

02. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के तथ्य जैसा कि अभिलेख से प्रकट होता है, यह है कि उत्तरवादी संख्या 1 विद्वान निचली अदालत के समक्ष वादी है, जिसने पुराने खाता संख्या 794, पुराने खेसरा संख्या 2668 (नया खाता संख्या 548, नया खेसरा संख्या 3510) क्षेत्रफल 83 दशमलव वाली वाद संपत्ति के संबंध में पुनरीक्षण सर्वेक्षण खतियान में सुधार की घोषणा की मांग करते हुए वाद दायर किया है। वादी ने यह घोषणा करने के लिए वाद दायर किया है कि वाद संपत्ति दो भाइयों, यानी वादी / उत्तरवादी संख्या 1 और उसके भाई राजेंद्र प्रसाद (मूल प्रतिवादी संख्या 1) की खरीदी हुई संपत्ति है और साथ ही यह घोषणा करने के लिए भी कि पुनरीक्षण सर्वेक्षण अभिलेख में प्रविष्टि विशेष रूप से केवल मूल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से गलत थी। तत्पश्चात, सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 19776/2011 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 20.01.2014 के आदेश के अनुसार, वादी के संशोधन आवेदन को अनुमति दी गई जिसके तहत वादी ने मुकदमे की संपत्ति में विभाजन की राहत मांगी थी। वादी का मुकदमा लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी संख्या 21 ने पक्षकार बनाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया और वादी ने प्रत्युत्तर दायर कर उनके दावे का विरोध किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद, दिनांक 16.03.2016 के आदेश के अनुसार हस्तक्षेपको के विरुद्ध उक्त आवेदन का फैसला किया। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है।

03. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र राय ने कहा कि आरोपित आदेश संधारणीय नहीं है तथा यह तथ्यों एवं लागू कानून के विरुद्ध पारित किया गया है। श्री राय ने आगे कहा कि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ने यह घोषित करने के लिए वाद दायर किया है कि वाद की संपत्ति के संबंध में उसके भाई राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि

गलत थी, जबकि उक्त वाद की संपत्ति याचिकाकर्ताओं, वादी एवं प्रतिवादियों की संयुक्त परिवार की संपत्ति है। श्री राय ने आगे कहा कि नथुनी साह पक्षकारों के सामान्य पूर्वज थे तथा उनके छह पुत्र थे, अर्थात् (i) अवध प्रसाद, (ii) लाखी प्रसाद, (iii) गया प्रसाद, (iv) सियाराम प्रसाद, (v) राजेन्द्र प्रसाद तथा (vi) शैलेश चन्द्र उर्फ पन्ना लाल। नथुनी साह की मृत्यु वर्ष 1955 में हो गई। नथुनी की मृत्यु के बाद लखी साह संपत्ति के कर्ता एवं प्रबंधक बन गए तथा उसके 3-4 वर्ष पश्चात केवल सियाराम साह अपने भाइयों से अलग हो गए तथा अन्य पांच भाई संयुक्त रूप से रह गए तथा लखी साह परिवार के कर्ता बने रहे। श्री राय ने आगे कहा कि लखी साह ने वाद की संपत्ति संयुक्त परिवार कोष से अपने छोटे भाइयों, वादी एवं राजेंद्र प्रसाद के नाम से 16.01.1963 को खरीदी थी, परंतु वादी ने संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों को वर्तमान वाद में पक्षकार नहीं बनाया है तथा केवल राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध वाद लाया है। उक्त राजेंद्र प्रसाद ने टाइटल सूट संख्या 39/1966/14/1968 में यह दावा किया था कि पांच भाई संयुक्त थे और साक्ष्य के दौरान यह स्वीकारोक्ति 1963 में संपत्ति की खरीद के काफी बाद की गई थी। श्री राय ने आगे कहा कि पक्षों के बीच संबंध स्वीकार किए जाते हैं और यह स्पष्ट है कि हस्तक्षेपकों का सीधा हित है क्योंकि वादी मुकदमे की संपत्ति के स्वत्व और विभाजन का दावा कर रहा है और अदालत को यह तय करना है कि असली मालिक कौन है। श्री राय ने **बिंदेश्वरी चौधरी बनाम डॉ. शिव नंदन उपाध्याय एवं अन्य** में इस न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया, जो **एआईआर 1973 पट 347** में दर्ज है, जिसमें संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के दायरे पर चर्चा करते हुए यह देखा गया है कि यह कहना कि "मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों" को "मुकदमे के पक्षकारों के बीच शामिल प्रश्नों" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, कानून के प्रावधान में कुछ ऐसा पढ़ना है जो वहां नहीं है और ऐसा लगता है जैसे कि "मुकदमे में शामिल सभी प्रश्न पक्षकारों के बीच" हों। उक्त निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने **जुगराज सिंह एवं अन्य बनाम जसवंत सिंह एवं अन्य** के मामले में **एआईआर 1971 एससी 761** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि संकीर्ण व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई और आगे कहा कि यहां तक कि एक उचित पक्ष जो सीधे तौर पर संबंधित संपत्ति में रुचि रखता है, उसे भी पक्ष के रूप में

जोड़ा जा सकता है। श्री राय ने इसके बाद **सिंहेश्वर राय बनाम बाबूलाल राय एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट **एआईआर 1980 पैट 187** में की गई थी, जिसमें **रजिया बेगम बनाम साहेबजादी अनवर बेगम** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, जिसकी रिपोर्ट **एआईआर 1958 एससी 886** में की गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकार को जोड़ने की अनुमति देते हुए कहा कि यदि न्यायालय पक्षकार की उपस्थिति को मुकदमे की प्रकृति में बदलाव किए बिना इसमें शामिल सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक मानता है तो वादी की इच्छाएं महत्वहीन हैं। आगे यह माना गया कि मुकदमे में शामिल मुद्दों की अभिव्यक्ति को पक्षों के बीच शामिल मुद्दों के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वादी के मुकदमे में शामिल मुद्दों को केवल पक्षों के बीच शामिल मुद्दे के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि हस्तक्षेपक मुकदमे के विषय-वस्तु में प्रत्यक्ष रुचि दिखाने में सक्षम रहे हैं और संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) का उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि हस्तक्षेपकों को वर्तमान मुकदमे में पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जाता है।

04. उत्तरवादी स०-. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अजय कुमार ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि विचाराधीन संपत्ति वादी और उनके भाई राजेंद्र प्रसाद की स्व-अर्जित संपत्ति है। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत औसत बनाकर अपना पक्ष रखने की मांग की। यहां तक कि सुनवाई के समय समन्वय पीठ के समक्ष एक गलत निवेदन भी किया गया है कि विचाराधीन संपत्ति पक्षकारों के बीच लंबित विभाजन वाद, स्वामित्व वाद संख्या 215/1987 का हिस्सा है। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद, सभी भाई वर्ष 1960 में अलग हो गए और विभाजन हो गया और उन्होंने अपने नाम पर संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह, तत्काल वाद संपत्ति वादी / उत्तरवादी सं0- 1 और उनके भाई राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से है और दोनों का उक्त संपत्ति में आधा हिस्सा था। याचिकाकर्ता अवध प्रसाद के वंशज हैं और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को एक पंजीकृत विभाजन विलेख संख्या 792 दिनांक 30.04.1985 के माध्यम से अपने परिवार में विभाजित कर लिया, जो

यह दर्शाता है कि अवध प्रसाद और उनके बेटों ने आंतरिक रूप से उस संपत्ति का विभाजन किया जो अवध प्रसाद के हिस्से में आती थी। वाद संपत्ति को न तो वर्ष 1985 में उनके बीच विभाजन का हिस्सा बनाया गया था और न ही वर्ष 1987 में दायर स्वामित्व मुकदमे में। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि वर्तमान वाद विभाजन के लिए वाद नहीं है, बल्कि यह एक घोषणात्मक मुकदमा है कि वाद भूखंड वादी और उसके भाई राजेंद्र प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा गया था और पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि गलत तरीके से राजेंद्र प्रसाद के नाम पर की गई थी और यह सही नहीं है और प्रतिवादी अनुसूची के संपत्ति के संबंध में संपत्ति का अनन्य मालिक नहीं हो सकते हैं। उक्त निवेदन में इस आशय से राहत की मांग करते हुए और संशोधन किया गया कि सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति से , वादी की भूमि के आधे हिस्से का सीमांकन किया जाए और उसे वादी और प्रतिवादी के बीच आधे हिस्से का सीमांकन किया जाए और वाद के लंबित रहने के दौरान वाद भूमि का हस्तांतरण नहीं करने के लिए एक निषेधात्मक आदेश जारी किया जाए। पहले वादी गहने बेचने का अपना अलग व्यवसाय कर रहा था, जो उनका परिवार की व्यवसाय था और बाद में उसे सरकारी नौकरी मिल गई और अब वह सेवानिवृत्त हो गया है। वर्ष 1963 में, वादी और उनके भाइयों में से एक, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, जो अपना अलग व्यवसाय भी कर रहे थे, ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जिसके लिए रु। 900/- प्रत्येक का भुगतान वादी और राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था और उसके बाद, मकान मालिक कौशलेश कुमार सिंह द्वारा उनके पक्ष में बिक्री विलेख दर्ज किया गया था। उक्त मकान मालिक ने वादी के अन्य भाइयों को व्यक्तिगत रूप से उनके नाम पर अलग-अलग संपत्तियां बेचीं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई लेनदेन किए हैं। श्री ठाकुर ने ऐसे नौ बिक्री विलेखों का उल्लेख किया जिन्हें मकान मालिक ने वादी राजेंद्र प्रसाद, अवध प्रसाद और लाखी साह के पक्ष में निष्पादित किया है, जिसमें सूट संपत्ति का भी उल्लेख किया गया है।विद्वान अधिवक्ता ने दोहराया कि परिवार में विभाजन का मुकदमा पहले से ही लंबित है, जो विभाजन वाद संख्या 215/1987 है, जिसमें वादी और राजेंद्र प्रसाद की स्व-अर्जित संपत्ति विषय वस्तु नहीं है और हस्तक्षेपक भी वहां पक्षकार हैं और वे हमेशा भूमि के कुछ टुकड़े को जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक वादी प्रतिवादी है और प्रत्येक प्रतिवादी विभाजन मुकदमे

में वादी है। इस प्रकार, श्री ठाकुर ने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता अभी भी व्यथित हैं, तो उनके लिए एक अलग वाद दायर करने या वाद संपत्ति को उपरोक्त विभाजन मुकदमे में शामिल करने के लिए खुला है। लेकिन, जहां तक वर्तमान वाद का संबंध है, याचिकाकर्ता न तो उचित हैं और न ही आवश्यक पक्षकार हैं और जो भी आवश्यक पक्षकार हैं, उन्हें वर्तमान वाद में प्रतिवादी के रूप में बनाया गया है। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि इसके अलावा, बिक्री विलेख दो व्यक्तियों, वादी और उसके भाई राजेंद्र प्रसाद के नाम पर मौजूद है और यह हस्तक्षेपक-याचिकाकर्ताओं पर है कि वे दिखाएं कि उक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है और उसी के लिए, वे अपना स्वतंत्र वाद दायर कर सकते हैं। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत अधिकारी वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी लागू नहीं हैं क्योंकि उद्धृत मामलों में, हस्तक्षेप करने वालों का प्रत्यक्ष हित है परंतु वर्तमान वाद में, हस्तक्षेपक, स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में घोषणा की मांग करते हुए वादी द्वारा दायर घोषणात्मक वाद में विभाजन की मांग करते हुए अपने पक्ष का दावा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, श्री ठाकुर ने कहा कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है और इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

05. मैंने पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गहन विचार किया है।

06. सबसे पहले, जिस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि वाद की संपत्ति वादी/उत्तरवादी संख्या 1 और उसके भाई राजेंद्र प्रसाद, जिनके वंशज उत्तरवादी संख्या 2 से 5 हैं, के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी गई है। यदि हस्तांतरण व्यक्तिगत नाम से किया गया है और पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, तो संपत्ति के संयुक्त परिवार की संपत्ति होने की कोई धारणा नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि वादी इस पंजीकृत विलेख के निष्पादन के समय नाबालिग था, विवादास्पद आदेश में अंतिम परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए विशिष्ट निष्कर्ष के मद्देनजर टिकने योग्य नहीं है कि वादी वर्ष 1961 में भी नाबालिग नहीं था। इसके अलावा, एक बार वादी और उसके भाई के व्यक्तिगत नामों में बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत हो जाने के बाद, यह पूरी दुनिया को सूचना देने के समान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य एवं**

अन्य के मामले में (2012) 1 **एससीसी** 656 में रिपोर्ट की गई पंजीकृत दस्तावेज की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: –

> *"किसी दस्तावेज का पंजीकरण दुनिया को यह सूचना देता है कि ऐसा दस्तावेज निष्पादित किया गया है। पंजीकरण अचल संपत्ति से संबंधित लेन-देन को सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही दस्तावेज खो जाए या नष्ट हो जाए। यह दस्तावेजों को प्रचार और सार्वजनिक प्रदर्शन देता है, जिससे लेनदेन और दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में जालसाजी और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। पंजीकरण उन लोगों को जानकारी प्रदान करता है जो किसी संपत्ति से संबंधित हैं, कि उस संपत्ति को प्रभावित करने वाले अधिकारों की प्रकृति और सीमा क्या हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह लोगों को यह पता लगाने में सक्षम बनाता है कि जिस विशेष संपत्ति से वे संबंधित हैं, क्या उस पर कोई कानूनी दायित्व या देयता है और वर्तमान में संपत्ति में अधिकार, स्वत्व और हित रखने वाला व्यक्ति कौन है। यह रूप की गंभीरता और दस्तावेजों को स्थायी बनाता है। जो कानूनी महत्व या प्रासंगिकता रखते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करके, जहां लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विवरण क्या हैं और जहां तक भूमि का संबंध है, उनके संबंध में क्या दायित्व मौजूद हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अचल संपत्ति से निपटने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्टरों (उक्त अधिनियम के तहत बनाए रखा) में निहित*

बयानों पर विश्वास के साथ भरोसा कर सकता है, जो सभी लेन-देन का पूरा और संपूर्ण विवरण है, जिसके द्वारा संपत्ति का स्वत्व प्रभावित हो सकता है और सुरक्षित अर्क/प्रतियां विधिवत प्रमाणित हो सकती हैं।

चूंकि बिक्री विलेख 1963 में निष्पादित और पंजीकृत किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इसकी सूचना थी और फिर भी, उन्होंने पहले कोई कष्ट नहीं उठाया और वादी के मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग की, हालांकि यह तथ्य उन्हें पहले से ही पता था।

07. अब, संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) में निम्न प्रकार लिखा है: -

*"10 (2). **न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्ष के** आवेदन पर या उसके बिना, तथा ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि किसी भी पक्ष का नाम जो अनुचित रूप से शामिल हुआ है, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, काट दिया जाए, तथा किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम जो शामिल होना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से तथा पूर्ण रूप से निर्णय लेने तथा निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाए।"*

08. उपर्युक्त प्रावधान न्यायिक विवेक का प्रावधान करता है और यह न्यायालय को देखना है कि मामले में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय लेने और निपटाने के लिए हस्तक्षेपकों की उपस्थिति की आवश्यकता है या नहीं। वर्तमान मामले में, हस्तक्षेपक स्वयं को 'आवश्यक पक्ष' या 'उचित पक्ष' होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कस्तूरी बनाम अय्यम्परूमल** के मामले में **(2005) 6 एससीसी 733** में बताया है कि

आवश्यक और उचित पक्ष कौन हैं और माना है कि 'आवश्यक पक्ष' वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर 'उचित पक्ष' वे हैं जिनकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी, हालांकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे में कोई राहत नहीं मांगी गई थी। इस प्रकार, हस्तक्षेपक/याचिकाकर्ता किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उदित नारायण सिंह मालपहाड़िया बनाम अपर सदस्य राजस्व बोर्ड** के मामले में, **एआईआर 1963 एससी 786** में रिपोर्ट किया कि एक आवश्यक पक्ष वह है जिसके बिना कोई आदेश प्रभावी रूप से नहीं दिया जा सकता है और एक उचित पक्ष वह है जिसकी अनुपस्थिति में एक प्रभावी आदेश दिया जा सकता है लेकिन कार्यवाही में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है।

09. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (पी) लिमिटेड के मामले में (2010) 7 एससीसी 417 में पैरा-22 में निम्नलिखित माना है:-

> *"22. आइए हम पक्षकारों को हटाने या जोड़ने के संबंध में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10(2) के दायरे और दायरे पर विचार करें। उक्त उप-नियम किसी गैर-पक्षकार को पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षों को हटाने या जोड़ने के न्यायालय के न्यायिक विवेक के बारे में है। उप-नियम के तहत विवेक का प्रयोग या तो स्वप्रेरणा से या वादी या प्रतिवादी के आवेदन पर या किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर किया जा सकता है जो मुकदमे का पक्षकार नहीं*

है। न्यायालय किसी भी ऐसे पक्ष को हटा सकता है जो अनुचित तरीके से जुड़ा हुआ है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है यदि यह पाया जाता है कि वह एक आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष है। ऐसा विलोपन या जोड़ बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है, जिन्हें न्यायालय लागू करना उचित समझे। संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निश्चित रूप से तर्क और निष्पक्षता के अनुसार कार्य करेगा, न कि सनक और मनमानी के अनुसार।

10. इसके अलावा, हस्तक्षेपकों /याचिकाकर्ताओं का दावा वादी द्वारा किए गए दावे से स्वतंत्र है और यदि हस्तक्षेपक विभाजन के मुकदमे में पहले से ही पक्षकार हैं, तो वे उक्त न्यायालय के समक्ष अपना दावा पेश कर सकते हैं, जहां विभाजन का मुकदमा लंबित है, लेकिन वे वादी की विशिष्ट दलील और दस्तावेज के खिलाफ वादी के घोषणात्मक मुकदमे में खुद को पक्षकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। हस्तक्षेपकों ने संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में विभाजन लागू करने के अपने अधिकार का दावा किया है, वे हमेशा अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और विभाजन का मुकदमा दायर करके अपना स्वतंत्र मार्ग निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें वादी और उसके भाई के नाम पर मौजूद संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति साबित करने का दायित्व उन पर होगा। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यदि हस्तक्षेपक पहले से ही विभाजन के मुकदमे में पक्षकार हैं, तो वे हमेशा अपने दावे के संदर्भ में वर्तमान स्वत्व मुकदमे की संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्तियों में से एक के रूप में लाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। फिर से दायित्व उन पर होगा। लेकिन, वर्तमान मामले में, मुझे वादी के मुकदमे के निर्णय के लिए हस्तक्षेपकों की उपस्थिति आवश्यक या उचित नहीं लगती।

11. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा इससे पहले की गई चर्चा के आलोक में, मुझे नहीं लगता कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने टाइटल सूट संख्या 469/2001 में दिनांक 16.03.2016 को आरोपित आदेश पारित करते समय अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि की है। इसलिए, इसकी पुष्टि की जाती है।

12. तदनुसार, वर्तमान सिविल विविध याचिका खारिज की जाती है।

13. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति, अरुण कुमार झा,)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।